

सूचना

बोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत

1. श्री रविन्द्र यादव पिता श्री शिवलाल यादव निवासी ग्राम: होनहे, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (आरखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 1381 दिनांक 10.5.2003 के तहत ग्राम: होनहे, थाना सं: 50, (रैयती) खाता सं: 62 के अधीन प्लॉट सं^o 724/885, दावित रकवा 0.86 एकड़, खाता सं. 02 के अधीन प्लॉट सं^o 730, दावित रकवा 0.16 एकड़, एवं खाता सं. 12 के अधीन प्लॉट सं^o 726, दावित रकवा 0.51 एकड़ कुल दावित रकवा 1.53 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गयी है।
2. ऊपर उल्लेखित खाता संख्या. 62, प्लॉट न. 724/885 जिसकी खरीदगी रकवा 0.86 एकड़ पर दावित रकवा 0.86 एकड़ है जिसे केवाला संख्या. 4796 दिनांक 14.10.1982 के माध्यम से असरफ महतो पिता स्वं चुटर महतो के द्वारा श्री बुधन गंझु, रमन गंझु एवं खेदन गंझु पिता जीवन गंझु से खरीदगी की गयी है।
3. ऊपर उल्लेखित खाता संख्या. 02 प्लॉट न. 730 जिसकी खरीदगी रकवा 0.16 एकड़ है जिसे केवाला संख्या. 4954 दिनांक 30.12.1978 के माध्यम से आशो देवी पति अशर्फी यादव के द्वारा श्री किसुन चमार पिता कपिल चमार से खरीदगी की गयी है।
4. ऊपर उल्लेखित खाता संख्या. 12, प्लॉट न. 726 जिसका खरीदगी रकवा 0.51 एकड़ है जिसे केवाला संख्या. 1262 दिनांक 20.09.1956 के माध्यम से चोटर गोप एवं जगन गोप पिता मांगर गोप एवं अशर्फी गोप पिता चुटर गोप के द्वारा श्री बढ़वा गोप पिता मोहता गोप से खरीदगी की गयी है।

अगर उक्त मुआवजा पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले सामें की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महान्तरधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबंधित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: होनहे, थाना सं: 50, जिला :- चतरा, खाता सं. 62 के अधीन प्लॉट सं. 724/885 दावित रकवा 0.86 एकड़, रैयती भूमि, खाता सं^o. 02, प्लॉट सं^o 730 दावित रकवा 0.16 एकड़ एवं खाता सं^o. 12, प्लॉट सं^o 726 दावित रकवा 0.51 एकड़ जिसका कुल दावित रकवा 1.53, रैयती भूमि, जो असरफ महतो पिता स्वं चुटर महतो, आशो देवी पति अशर्फी यादव एवं चोटर गोप एवं जगन गोप पिता मांगर गोप के नाम से सत्यापित है, जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के भूमि-मुआवजा प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

१४/०३/२२ 